



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 ई0

श्रावण 02, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-7

संख्या- 414759 / HS7-3 / 1 / 2026

देहरादून, 24 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प0 आ0-67

दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 20 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) में परिभाषित उद्देश्यों/कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) को उक्त धारा के अधीन किसी सूचना/सूचनाओं को अवरोधित करने के संबंध में दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 की अधिसूचना दिनांक 22.11.2024 के बिन्दु संख्या: 3(1) को व्यवस्थानुसार अपरिहार्य परिस्थितियों में, प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जहाँ पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना व्यवहार्य नहीं है, निर्देश जारी करने के लिए आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं आयुक्त कुमायूँ मण्डल को अधिकृत करने की श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि :-

- राज्य गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दूरसंचार सेवाओं के निलम्बन के लिए आदेश, ऐसे आदेश के जारी किये जाने के चौबीस (24) घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त पुष्टि के अधीन होगा :
- दूरसंचार सेवाओं के निलम्बन का आदेश उक्त चौबीस (24) घण्टे की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के प्राप्त न होने की दशा में अस्तित्वहीन हो जायेगा।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 / गृह / 304-2026-100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।